(क) क्या नक्सल-प्रभावित क्षेत्रों में विदेशी पर्यटकों के लिए खतरा बढ़ता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन क्षेत्रों में पर्यटकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे निवारक उपायों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नक्सलियों ने भारत के कतिपय भागों में पर्यटकों के प्रवेश को प्रतिबन्धित करने के लिए सरकार को कोई औपचारिक सूचना भेजी है; और

(घ): यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जितेन्द्र सिंह)

**(क): सी पी आई (माओवादी) ने 14 मार्च 2012 को ओडिशा के कंधमाल जिले के दारिंगीबाडी पुलिस स्टेशन से इटली के दो नागरिकों का अपहरण करने से पहले किसी विदेशी नागरिक का अपहरण नहीं किया था। यह उनकी नीतियों में होने वाला एक नया विकास है जो यह दर्शाता है कि यह संगठन धीरे-धीरे एक पूर्ण आतंकी संगठन में परिवर्तित हो रहा है जो बिना भेदभाव के आम नागरिकों को भी लक्ष्य बनाता है।**

**(ख): कानून एवं व्यवस्था राज्य का विषय होने के कारण, इन मामलों को सीधे संबंधित राज्य सरकारों द्वारा निपटाया जाता है। तथापि, सी पी आई (माओवादियों) द्वारा अब विदेशी नागरिकों को लक्ष्य बनाने की संभावना के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों को सतर्क कर दिया गया है।**

**(ग) एवं (घ): भारत सरकार को ऐसी कोई औपचारिक सूचना प्राप्त नहीं हुई है। तथापि, सी पी आई (माओवादियों) द्वारा अपहृत इटली के नागरिकों को छोड़ने के लिए की गई मांगों में यह मांग भी सम्मिलित थी कि राज्य सरकार यह घोषित करे कि आदिवासी क्षेत्र पर्यटन के लिए नहीं हैं तथा इसका उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।**